

Order sheet [Contd]

case No **ba-184/17**

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<u>18-05-2017</u> 04:15 pm to 04:25 pm	<p>आवेदक/अभियुक्त आशाराम बघेल द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0। पुलिस थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 21/17 अंतर्गत धारा-304बी एवं 34 भा0दं0सं0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक आशाराम बघेल के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक के चाचा सुमेर सिंह द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 है। इस आवेदन के अतिरिक्त समान प्रकृति का कोई भी आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि वह नाबालिक होकर निर्दोष है। उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरुद्ध झूठी घटना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक द्वारा आज तक कभी भी दहेज में मोटरसाइकिल व दो लाख रूपए की मांग नहीं की गई है। फरियादी द्वारा थाने में रिपोर्ट की है उसकी लड़की की शादी सात वर्ष पूर्व ग्राम पडरई में लक्ष्मीनारायण के साथ हुई थी। अतः आवेदक के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं है। केवल उन्हें परेशान करने के लिए उनके एवं उनके परिजनों के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की गई है। मुक्तिका मिथलेश आवेदक की भाभी थी तथा वह मानसिक रूप से विछिन्न थी। जिसका आवेदक के परिजनों द्वारा काफी इलाज कराया गया है, लेकिन इलाज से ठीक न होने की वजह से विच्छिन्नता के कारण उसने स्वयं ही फांसी लगा ली है। मुक्तिका मिथलेश के एक पुत्री मुस्कान उत्पन्न हुई थी। जो आज 4-5 वर्ष की है। जो आवेदक की मां श्रीमती गुड्डी के पास है। मिथलेश अपनी पुत्री से भी विच्छिन्नता के कारण स्नेह नहीं करती थी और इसी वजह से उसने फांसी लगाई है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>अभियोजन की ओर से अपराध को गंभीर बताते हुए घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 13 एवं 14.02.2017 की मध्यरात्रि में ग्राम पडराई अंतर्गत पुलिस थाना एण्डोरी में फरियादी अमरसिंह की पुत्री मिथलेश की फांसी लगने से मृत्यु हो गई, जिसकी मर्ग सूचना अमरसिंह ने थाना एण्डोरी में दर्ज कराई। जिस पर से थाना एण्डोरी में मर्ग क्रमांक 04/17 पर मर्ग दर्ज की गई तथा मर्ग की जांच की गई। मर्ग जांच में मृतिका मिथलेश की मां केशकली, भाई प्रमोद पिता अमरसिंह आदि के कथन लिए गए। जिसमें उन्होंने बताया कि पति लक्ष्मीनारायण, सास श्रीमती गुड्डी, ससुर नरेश बघेल एवं देवर आशाराम दहेज में मोटरसाइकिल एवं दो लाख रूपए की मांग करते थे तथा परेशान रखते थे, खाना समय से नहीं देते थे। मृतिका को इन लोगों ने उक्त दहेज के लिए परेशान किया, जिससे कि मिथलेश फांसी से मर गई। मर्ग जांच में यह पाया गया कि मिथलेश की मृत्यु लक्ष्मीनारायण से विवाह दिनांक 27.06.2010 से सात वर्ष से भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में दहेज की मांग एवं प्रताड़ना के चलते हुई थी। जिसके आधार पर आवेदक एवं सहअभियुक्त लक्ष्मीनारायण एवं श्रीमती गुड्डी तथा नरेश बघेल के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>आवेदक की ओर से माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल की हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा 2016, पूर्व माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा वर्ष 2014, न्यू शिवानी हाईस्कूल बाबरीपुरा मुरैना की कक्षा नौ की अंकसूची, प्रवेशपत्र आदि की फोटोप्रति प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है उसकी जन्मतिथि 30.11.2000 है इस हिसाब से घटना दिनांक 13 एवं 14.02.2017 को उसकी आयु 16 वर्ष की होती है। इस प्रकार अवयस्क होने के आधार पर भी अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आधार लिया गया है।</p> <p>मामले की उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक कि अवयस्क की या किशोर की अग्रिम जमानत का प्रश्न है, धारा-438 दं0प्र0सं0 अर्थात् अग्रिम जमानत के प्रावधान किशोर पर लगू नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम में किशोर की जमानत के संबंध में प्रथक से प्रावधान है। अतः ऐसी स्थिति में गुणदोषों के आधार पर भी तथा किशोर होने के आधार पर भी आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यदि आवेदक को गिरफ्तार किया जाता है और उसके द्वारा अपने किशोर होने का बिन्दु उठाया जाता है तब ऐसी स्थिति में किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।</p> <p>आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।</p> <p>(मोहम्मद अजहर)</p> <p>द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश</p> <p>गोहद जिला भिण्ड</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)